



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी०१० एस०० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-४९२००५ (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-०७७१-२२८२५३०, २२८५५९० ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छ०ग०/दंतेवाड़ा/टिन-०३/रायपुर

६० छ०ग० ०३००५

दिनांक :— ०५ / ०६ / २०२०

प्रति,

श्री निर्मल लूनिया, निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर
सर्वश्री प्रीशियस मिनरल्स एवं स्मेलटिंग लिमिटेड,
सेमी अर्बन ईन्डस्ट्रीयल एरिया, फेजीपुर,, पोस्ट- जगदलपुर ,
जिला — बस्तर (छत्तीसगढ़) — ४९४ ००१

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित आपकी नेरली टिन अयस्क खदान क्षेत्रफल ४.९७ हेक्टेएर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक १७ / ०३ / २०२० को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री विमल कुमार लूनिया, निदेशक एवं श्री मोहित कुमार लूनिया, खान मालिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2018-19.
Rule 28 (1)	Notice of Temporary Discontinuance has not been sent to the authorized officer within one hundred and twenty days from the date of such discontinuance as the mine is non operational from December 2017.
Rule 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of the Manager (Mines) and the Nominated Owner have not been sent in the prescribed format to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments.

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ६२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम के अंतर्गत

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

०३. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से ४५ दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-४४०००१
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर